

Title: Need to adopt strict quality control measures and to strengthen the systems at the district level to encounter fake drugs.

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा) : हमारे देश में नकली दवाएं बनाने और बेचने का अवैध धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। कोई गरीब आदमी दवा की दुकान से इस आशा के साथ दवा खरीद कर अपने स्वजन को देता है कि वह ठीक हो जाएगा, लेकिन वह दवा नकली निकलती है और जीवनदायिनी के बजाय जीवन लेने वाली बन जाती है।

इससे आप स्थिति की भयावहता की कल्पना कर सकते हैं। नकली दवाइयों में जीवन रक्षक दवाइयों से लेकर एंटी-बायोटिक और मल्टी-विटामिंस तक सम्मिलित हैं। नकली दवाइयां बनाने का कारोबार दिल्ली, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक में चल रहा है। उड़ीसा में नकली दवाइयों के बनाने के इंड्यत्र में अस्पताल, प्रशासन, डॉक्टर और दवा विक्रेता सभी सम्मिलित थे। आप स्थिति की भयावहता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि प्रतिष्ठित दवा कंपनियों की दवाइयों की बिक्री में तीस से चालीस प्रतिशत कमी आई। दवाइयों की बिक्री इसलिए कम नहीं हुई कि बीमार कम हो गये बल्कि इसलिए कि तीस से चालीस प्रतिशत नकली दवाइयां हमारे गरीबों ने खरीदी और खाई। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वैसे तो दवाइयों का उत्पादन, आयात, वितरण और बिक्री, औधि और प्रसाधन अधिनियम 1940 के तहत होती है और इसके तहत नकली दवाइयां बेचते हुए अगर कोई पाया जाता है तो दोषी को सजा और जुर्माना दोनों होते हैं लेकिन कारगर ढंग से इस कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि दवा की गुणवत्ता की जांच प्रणाली को अधिक कारगर ढंग से लागू करके जिला स्तर पर भी दवा गुणवत्ता, नियंत्रण और जो हमारे संगठन हैं, उनको मजबूत किया जाये। जो वर्तमान कानून हैं, उनका कड़ाई से पालन किया जाये और जरूरत हो तो नये कानून बनाएं। यह मामला अधिक गंभीर है और जनता के जीवन से संबंधित है, इसलिए सरकार इसकी ओर ध्यान दे, मेरा इतना ही निवेदन है।